न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोह मीना, आर ए एस
वाद पत्र संख्या :– 24/2020

उनवान

1. फूलचन्द पुत्र मूरली, उम्र– 40 वर्ष, जाति अहीर, निवासी ढाणी कंवरजीवाली– शाहपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान

वादी

बनाम

1. रामेश्वर दत्तक पुत्र भगवाना, उम्र–53 वर्ष, जाति अहीर, निवासी ढाणी कंवरजीवाली–शाहपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा जिला जयपुर, राजस्थान
3. उपपंजीयक अधिकारी– शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान

प्रतिवादीगण

4. सीताराम पुत्र मूरली, उम्र–50 वर्ष, जाति अहीर, निवासी ढाणी कंवरजीवाली– शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान
5. पारा देवी पत्नी मूरली, उम्र–80 वर्ष, निवासी ढाणी कंवरजीवाली– शाहपुरा, तह0 शाहपुरा ,जिला जयपुर, राजस्थान
6. छिम्मा देवी पुत्री मुरली, पत्नी रामकुवार जाति अहीर, निवासी ढाणी कंवरजीवाली–शाहपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, हाल निवासी ढाणी सेठा वाली तन नाथावाला, शाहपुरा।

तरतीबी प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति

1. श्री जे एस यादव वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री रामनिवास गुर्जर वकील अप्रार्थी/वादीगण की ओर से

आदेश दिनांक 16/9/2022

उपर्युकत उनवानी संस्थित वाद में प्रार्थीगण/प्रतिवादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश– 7 नियम –11 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत जरिये अपने अधिवक्ता श्री रविशंकर अग्रवाल के द्वारा दिनांक 14.03.2022 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादीगण के द्वारा हाल आराजी खसरा नं0 1289/0.25, 1295/0.35, 1256/0.20, 1283/0.15, 1247/0.37, 1249/0.21, 1271/0.21, 1277/0.40, 1286/0.10, 1287/0.04, 1288/0.42, 1252/0.48 कुल किता– 12 रकबा 3.18 है0 वाकै ग्राम– शाहपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी मुतनाजा प्रार्थी तथा वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण सं0–4, 5 व 6 के प्रिता व पति मुरली व भगवाना के बराबर बराबर हिस्से व बंटवारे मे दर्ज खातेदारी एवं कब्जा काश्त रहा है तथा 1/2 भाग की भूमि मुरली के कब्जे काश्त व खातेदारी अधिकार में रही है तथा 1/2 भाग की खातेदारी भूमि भगवाना के कब्जे काश्त में है जिस पर भगवाना का ही कब्जा है तथा 1/2 हिस्से पर मुरली के फौत हो जाने के पश्चात तरतीबी प्रतिवादी सं0–4 ने राजस्व कर्मचारियों के समक्ष अपने पिता के फौत हो जाने के पश्चात फौत की नामान्तकरण (विरासत) के लिए समस्त प्रकार के दस्तावेजात तैयार कर आवेदन ऑनलाईन करवाकर विरासत का नामान्तकरण के लिए प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रतिवादी सं0 4 द्वारा तैयार दस्तावेजात मय आवेदन पत्र फौतगी विरासत नामान्तकरण तहसीलदार–शाहपुरा के यहां प्रस्तुत किया गया है उक्त आवेदन मय मृत्यु प्रमाण पत्र, नगरपालिका–शाहपुरा में प्रस्तुत आवेदन पत्र मय शपथ पत्र कर बनवाया गया कुर्सीनामा आदि प्रस्तुत कर नामान्तकरण सं0 3480 दिनांक 30.06.2020 व 3309 दिनांक– 01.05.2019 की तस्दीक किया गया है। उक्त आवेदन पत्र में प्रतिवादी सं0–4 द्वारा प्रस्तुत कुर्सीनामा मय आवेदन पत्र में भी प्रतिवादी सं0–1 को मुरली का वारिस माना है तथा उसे कहीं भी किसी भी दस्तावेज में गोद मुत्र नहीं माना गया है तथा प्रतिवादी सं0 1 को उसके स्कुल रिकार्ड, निर्वाचन रिकार्ड आदि में मुरलीधर की जायन्दा सन्तान ही माना है उसे कही में भगवान के दत्तक पुत्र के रूप में नहीं माना तथा न ही भगवाना ने प्रतिवादी सं0 1 प्रार्थी के दत्तक पुत्र को हैसियत से ही अपने पास रखा है मुरलीधर के फौत हो जाने के पश्चात भी प्रार्थी रामेश्वर ने भी अपने भाई के साथ मिलकर कियाकर्म खर्च तथा मुरलीधर के मृत्यु के पश्चात एक चबुतरे का निर्माण उनकी

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

ादगार में उनके सुपुत्र रामेश्वर, सीताराम, फूलचंद ने दिनांक 13.11.2014 को करवाया गया है। जिस पर
क शिलापट्ट लिखवाया गया है स्पष्ट हो जाता है कि रामेश्वर कभी भी भगवाना के गोद नहीं गया तथा
ही रामेश्वर को भगवाना ने दत्तक पुत्र मानकर अपने पास रखा है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में तरतीबी
तिवादी सं0–4 लगायत 6 ने उक्त वाद पत्र में वर्णित समस्त तथ्यों की स्वीकारोक्ति की है जबकि वाद
त्र के खण्ड सं0–3 में वादी ने स्पष्ट वर्णित किया है कि मुरलीधर एवं भगवाना दो सगे भाई है जिसके
ेता रूघनाथ है भगवाना के ओरस पुत्र एवं पुत्री नहीं थे जिसके कारण भगवाना ने अपने भाई के पुत्र
तिवादी सं0–1 रामेश्वर को बाल्यावस्था में ही हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार गोद ले लिया था जबकि
ामेश्वर के समस्त दस्तावेजात में दत्तक पुत्र के रूप में नहीं दर्शाया गया है जिसका कोई रिकार्ड नहीं है
स्तुत दस्तावेजात में तथा मुरली के विरासत नामान्तकरण में भी मुरली को ही पुत्र माना गया है जिसके
मस्त दस्तावेजात तरतीबी प्रतिवादी सं0–4 द्वारा रचित किये गये है तथा उक्त तरतीबी प्रतिवादी सं0 4
गायत 6 ने उक्त वाद पत्र की स्वीकारोक्ति कर समर्थन किया है। इसलिए भी यह वाद पत्र चलने योग्य
हीं है। वादपत्र में रामेश्वर के रजिस्टर्ड गोदनामा होना बताया है। गोदनामा रजिस्टर्ड करने से पूर्व पुत्र के
त्तक देने के समय उसकी अधिकतम आयु 13 वर्ष तथा उसके प्राकृतिक माता–पिता की सहमति तथा
त्तक लेने वाले माता–पिता की सहमति आवश्यक है प्रार्थी रामेश्वर की प्राकृतिक माता–पिता की कोई
हमति नहीं है इसलिए गोदनाम रजिस्टर्ड शुन्य व अवैध माने जाने योग्य है। रामेश्वर प्रार्थी की बाल्यावस्था
वं हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार किसी के पिता के सबसे बडे पुत्र को गोद नहीं दिया जाता क्योंकि किसी
यक्ति की मृत्यु पश्चात कियाकर्म बड़ा पुत्र ही करता है इसलिए वाद पत्र चलने योग्य नहीं है।

वकील वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब पेश कर जाहिर किया कि
ार्थी/प्रतिवादी सं0 1 रामेश्वर बाल्यअवस्था में ही हिन्दू रिती रिवाज के अनुसार भगवाना के गोद चला
या था इसके पश्चात रामेश्वर के जन्मतः कुटुम्ब से सारे सम्बन्ध समाप्त हो गये थे । प्रार्थी/प्रतिवादी का
ुरली की सम्पत्ति से कोई लेना देना नहीं है। वादग्रस्त आराजी के 1/2 भाग पर मुरली हाल आबाद
ाबिज काश्त रहा है मुरली की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान फूलचन्द, सीताराम, पारा देवी छीमादेवी
पने हिस्से अनुसार हाल आबाद काबिज काश्त है। रामेश्वर भगवाना के गोद जाने के बाद भगवाना के
ेस्से पर काबिज काश्त रहा हैं तथा वर्तमान में निवास कर रहा है। प्रार्थी/प्रतिवादी ने गोदपत्र को छुपाते
ए मुरली की समत्ति में वारिस का नामान्तकरण तस्दीक करवा लिया जबकि वह बाल्यवस्था में हिन्दू रिती
ेवास के अनुसार भगवाना के गोद चला गया था एवं गोद का अनुष्ठान का आयोजन किया गया था एवं
ुडपतासे का विरण किया गया था । अप्रार्थीगण प्रार्थी/प्रतिवादी के बाल्यवस्था में ही मुरली एवं उनकी
र्मपत्नी पारा देवी ने हिन्दू रीती रिवाज के अनुसार गोद दे दिया था, जिसके पंश्चात काफी वर्ष बाद
ोदनामे को लेकर विवाद ना हो इसलिये गोद्रनामा पंजीबद्व करवाया गया था रामेश्वर विधिपूर्वक गोद
ख्ला गया था जिसके पश्चात रामेश्वर का मुरली से कोई सम्बन्ध वास्ता नहीं रहा है । इसके पश्चात
ार्थी/प्रतिवादी का राशनकार्ड व निर्वाचक नामावली में रामेश्वर की वल्दीयत भगवाना अंकित हो गया था।
अप्रार्थी/वादी की ओर निवदन किया गया कि रजस्ट्रर्ड गोदपत्र को किसी सिविल न्यायालय में आक्षेपित
हीं किया गया है विधि अनुसार रजिस्ट्रर्ड गोदनामा कानूनी रूप से प्रभावी है। तथा प्रार्थी/प्रतिवादी के
द्वारा अभी तक रजिस्ट्रर्ड गोदनामा को निरस्त नहीं करवाया गया है इसलिए प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज फरमाया जावें ।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी । वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में
र्णित तथ्यों को जाहिर करते हुए जाहिर किया कि जब नगरपालिका द्वारा प्रार्थी को मुरलीधर का वारिस
माना है तथा राजस्व रिकार्ड में जरिये विरासत से भूमि आई है । प्रार्थी के पिता मुरली के विरासत का
नामान्तकरण में सीताराम के द्वारा शपथ पत्र पेश कर प्रार्थी का नाम कुर्सीनामा में दिया गया है तथा
भगवाना की भूमि उनके स्वंय के द्वारा अपने जीवन काल में ही उपहार स्वरूप दिये जाने से प्रार्थी को
उसके पिता से अर्जित सम्पत्ति प्राप्त हुई है जिस पवर काबिज है। अन्त में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया
कि अप्रार्थी/वादी जब नामान्तकरण गलत हुआ है तो अपील करनी चाहिए थी इसलिए प्रार्थी/प्रतिवादी का
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया । वकील अप्रार्थी /
वादीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को जाहिर करते हुए जाहिर किया प्रार्थी के द्वारा
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में अंकित तथ्यों का अंकन नहीं किया गया है तथा
गोदनामा को छुपाकर विरासत का नामान्तकरण खुलवाया गया है जो गलत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र
खारिज फरमाया जावे ।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

हमने पत्रावली का अवलोकन किया , तथा विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । जहॉ क आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामन्जूर किये जाने का वधान है:–

क). जहॉ वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है। (ख). जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया।
ग). जहॉ दावाकृत अनुतोष ठीक है परन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है।
घ). जहॉ वादपत्र किसी विधि से वर्जित है। (ङ). जहॉ यह 02 प्रतियों में फाईल नहीं किया है।
च). जहॉ वादी नियम 9 के उपबंधो की अनुपालना करने में असफल रहता है।

विवादित प्रकरण में हमारे सम्मुख मूल रूप से बिन्दु ((घ) विचारणीय है। आदेश 7 नियम 11 ोपीसी में यह स्पष्ट प्रावधान है कि वाद पत्र को पढने मात्र से ही यह परिलक्षित होना चाहिए कि वाद कस विधि से वर्जित है। अथवा कोई वाद हेतुक प्रकट नहीं किया गया । हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने स न्यायालय के समक्ष उनवानी वाद पत्र पेश किया कि प्रतिवादी सं0 1 रामेश्वर जो कि भगवाना को गोद ाने से वादीगण के पिता मुरली के नाम दर्ज भूमि में उनकी मृत्यु के बाद विरासत के रूप प्राप्त भूमि से ाम हजफ कर वादी व तरतीबी प्रतिवादी के नांम दर्ज करने हेतु वाद पत्र पेश किया गया है ।प्रकरण का रीक्षण करने पर पाया गया कि वादी के पिता 2 भाई कमशः मुरली व भगवाना थे, भगवान ना औदालत आ है तथा उसके जीवन काल में ही भगवाना ने अपनी भूमि 5.11.2019 को योगेशकुमार व मेहन्द्रसिंह के क्ष में उपहार स्वरूप दी गई है, तथा प्रार्थी/प्रतिवादी के द्वारा जो भूमि प्राप्त की गई है वह विरासत के प में प्राप्त हुई है प्रार्थी/प्रतिवादी को जरिये गोदनामा से भूमि प्राप्त हुई है यह रिकार्ड में नहीं है । इस कार प्रतिवादी का विवादित आराजी से नाम हजफ करना उचित प्रतीत नहीं होता है चूंकि जो विरासत का ामान्तकरण दर्ज हुआ है उसकी अपील की गई हो यह भी प्रकरण में नहीं पाया गया है जबकि जो ोदनामा पेश किया गया है वह 24.3.2006 को निष्पादित किया हुआ है तथा विरासत का नामान्तकरण 1.5. 019 व 30.6.2020 को स्वीकृत हुआ है यानि यदि कि गोदनामा के लगभग 14 वर्ष बाद यह विरासत का ामान्तकरण दर्ज हुआ है तथा प्रतिवादी/प्रार्थी के नाम गोदनामा से कोई भूमि प्राप्त हुई है यह भी प्रकरण नहीं पाया गया है। इस प्रकार वादी के द्वारा वादपत्र पेश किया गया है वह विधि से वर्जित होना पाया ाता है । इस प्रकार वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है अपितु विधि से वर्जित होने के ारण खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतःउपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर अप्रार्थी/वादीगण का हस्तगत वादपत्र विधि से र्जित होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। हर्जा ,खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 16/9/2021 को सरै इजलास सुनाया गया । त्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(मनमोहन)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोह मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 24/2020

उनवान

1. फूलचन्द पुत्र मूरली, उम्र– 40 वर्ष, जाति अहीर, निवासी ढाणी कंवरजीवाली– शाहपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान

वादी

बनाम

1. रामेश्वर दत्तक पुत्र भगवाना, उम्र–53 वर्ष, जाति अहीर, निवासी ढाणी कंवरजीवाली–शाहपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा जिला जयपुर, राजस्थान
3. उपपंजीयक अधिकारी– शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान

प्रतिवादीगण

4. सीताराम पुत्र मूरली, उम्र–50 वर्ष, जाति अहीर, निवासी ढाणी कंवरजीवाली– शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान
5. पारा देवी पत्नी मूरली, उम्र–80 वर्ष, निवासी ढाणी कंवरजीवाली– शाहपुरा, तह0 शाहपुरा ,जिला जयपुर, राजस्थान
6. छिम्मा देवी पुत्री मुरली, पत्नी रामकुवार जाति अहीर, निवासी ढाणी कंवरजीवाली–शाहपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, हाल निवासी ढाणी सेठा वाली तन नाथावाला, शाहपुरा।

तरतीबी प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति 1. श्री जे एस यादव वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री रामनिवास गुर्जर वकील अप्रार्थी/वादीगण की ओर से

आदेश दिनांक 16/9/2022

अतःउपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर अप्रार्थी/वादीगण का हस्तगत वादपत्र विधि से वर्जित होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। हर्जा ,खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें। आज तारीख 16.9.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गंई ।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	